रिपोर्ट पटवारी व नू—अभिलेख निरीक्षक—

महोदय, निवेदन है कि ग्राम जयपलड़ी के जमाबंदी संख्या [illegible] उस्मान, तौफीक नुजहतखातून फरहत खातून [illegible] के पिता का नाम शेर मोहम्मद खां दर्ज है। [illegible] शमशेर तौफीक के आधार कार्ड व वोटर आईडी डीएति में पिता का नाम लालखां है ग्राम में जमाबंदी करने पर पाया कि [illegible] उस्मान के पिता के दो नामों शेर मोहम्मद खां उर्फ लालखां [illegible] अतः शेर मोहम्मद खां के स्थान पर शेर मोहम्मद खां उर्फ लालखां [illegible] दुरुस्त माना उचित होगा।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार—

[illegible] 19/5/23

रिपोर्ट पटवारी जमाबंदी एवं PLR statement के अनुसार जयपलड़ी में शेर मोहम्मद खां एवं शेर मोहम्मद खां उर्फ लालखां दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया गया है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर पार्थी के नाम दुरुस्त किये जाने की शेर मोहम्मद के स्थान पर शेर मोहम्मद खां उर्फ लालखां की अभिवृद्धि उचित प्रतीत होती है।

26/05/23
तहसीलदार
झुन्झुनूं

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शेर मोहम्मद खां के स्थान पर शेर मोहम्मद खां उर्फ लाल खां दुरुस्त किया जाता है। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner